भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 374

दिनांक 16.09.2020/ 25 भाद्रपद 1942 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में क्षमता से अधिक कैदी का होनाः

374 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य - वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने कैदी हैं जो अपनी सजा की आधी अवधी पूरी कर चुके हैं और उन्हें जमानत या पैरोल पर रिहा किया जा सकता है, तत्संबंधी राज्य - वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने कैदी हैं जो सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद हैं, तत्संबंधी राज्य - वार ब्यौरा क्या है;

(घ) जेलों में विचारणाधीन कैदियों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य - वार ब्यौरा क्या है; और

(ड़) लॉकडाउन अवधि के दौरान कितने कैदी रिहा किए गए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार से संबंधित आंकड़े संकलित करता है और इन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, कारागारों की क्षमता और कारागार में बंद कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ख): यह सूचना एनसीआरबी द्वारा नहीं रखी जाती है।

रा.स. अता. प्र. सं.374 दिनांक 16.09.2020

(ग): 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, सजा पूरी होने के पश्चात अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने के कारण जेलों में रह रहे दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-।। में दी गई है।

(घ): 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-।।। में दी गई है।

(ङ): यह आंकड़ा एनसीआरबी द्वारा एकत्र नहीं किया गया है।

******

अनुलग्नक-I

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कारागारों की संख्या, उपलब्ध क्षमता और कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**उपलब्ध क्षमता**	**कारागार कैदियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	8789	7579
2	अरुणाचल प्रदेश	233	247
3	असम	8888	9226
4	बिहार	42222	39814
5	छत्तीसगढ़	12063	18112
6	गोवा	624	518
7	गुजरात	13762	15089
8	हरियाणा	19306	20423
9	हिमाचल प्रदेश	2146	2373
10	जम्मू और कश्मीर @	2910	3689
11	झारखंड	16795	18654
12	कर्नाटक	14315	14515
13	केरल	6841	7499
14	मध्य प्रदेश	28718	44603
15	महाराष्ट्र	24095	36798
16	मणिपुर	1272	876
17	मेघालय	650	1023
18	मिजोरम	1601	1698
19	नागालैंड	1450	446
20	ओडिशा	19291	17563
21	पंजाब	23488	24174
22	राजस्थान	22952	21599
23	सिक्किम	260	400
24	तमिलनाडु	23392	14707
25	तेलंगाना	7785	6717
26	त्रिपुरा	2174	1103
27	उत्तर प्रदेश	60340	101297
28	उत्तराखंड	3540	5629
29	पश्चिम बंगाल #	21772	23092
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	309	244
31	चंडीगढ़	1120	984
32	दादरा एवं नगर हवेली *	70	46
33	दमण और दीव *	60	62
34	दिल्ली	10026	17534
35	लक्षद्वीप	64	4
36	पुडुचेरी	416	263
	कुल	**403739**	**478600**

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र है। यह दोनों संघ राज्य क्षेत्रों- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का समेकित आंकड़ा है।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव को मिलाकर अब एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

रा.स.अता.प्र.सं. 374, दिनांक 16.09.2020

अनुलग्नक-II

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार सजा समाप्त होने के पश्चात अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने के कारण जेलों में बंद दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सजा समाप्त होने के पश्चात अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने के कारण जेलों में बंद दोषियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	106
4	बिहार	8
5	छत्तीसगढ़	15
6	गोवा	0
7	गुजरात	13
8	हरियाणा	22
9	हिमाचल प्रदेश	10
10	जम्मू और कश्मीर @	0
11	झारखंड	6
12	कर्नाटक	21
13	केरल	111
14	मध्य प्रदेश	78
15	महाराष्ट्र	22
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	1
18	मिजोरम	114
19	नागालैंड	0
20	ओडिशा	6
21	पंजाब	67
22	राजस्थान	66
23	सिक्किम	0
24	तमिलनाडु	0
25	तेलंगाना	2
26	त्रिपुरा	28
27	उत्तर प्रदेश	192
28	उत्तराखंड	42
29	पश्चिम बंगाल #	56
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
31	चंडीगढ़	2
32	दादरा एवं नगर हवेली *	0
33	दमण और दीव *	0
34	दिल्ली	41
35	लक्षद्वीप	0
36	पुडुचेरी	0
	कुल	**1031**

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र है। यह दोनों संघ राज्य क्षेत्रों- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का समेकित आंकड़ा है।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव को मिलाकर अब एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विचारणाधीन कैदी
1	आंध्र प्रदेश	4769
2	अरुणाचल प्रदेश	106
3	असम	6130
4	बिहार	31275
5	छत्तीसगढ़	9829
6	गोवा	369
7	गुजरात	9799
8	हरियाणा	13160
9	हिमाचल प्रदेश	1425
10	जम्मू और कश्मीर @	3075
11	झारखंड	12759
12	कर्नाटक	10500
13	केरल	4330
14	मध्य प्रदेश	24157
15	महाराष्ट्र	27557
16	मणिपुर	758
17	मेघालय	861
18	मिजोरम	1097
19	नागालैंड	314
20	ओडिशा	13803
21	पंजाब	15949
22	राजस्थान	15378
23	सिक्किम	255
24	तमिलनाडु	9244
25	तेलंगाना	4384
26	त्रिपुरा	568
27	उत्तर प्रदेश	73418
28	उत्तराखंड	3373
29	पश्चिम बंगाल #	16478
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	132
31	चंडीगढ़	580
32	दादरा एवं नगर हवेली *	46
33	दमण और दीव *	46
34	दिल्ली	14382
35	लक्षद्वीप	4
36	पुडुचेरी	177
	कुल	**330487**

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र है। यह दोनों संघ राज्य क्षेत्रों- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का समेकित आंकड़ा है।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव को मिलाकर अब एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।